स्वत्व वाद संख्या 46/2018
सीआईएस 13/2018
दिनांक 15.12.2023

न्यायालयः अवर न्यायाधीश तृतीय, अरेराज,पूर्वी चम्पारण।

आदेश

दिनांकः 15.12.2023 वाद पुकारा गया। प्रस्तुत मामला हस्तक्षेपक आवेदक की तरफ से दिनांक 04.06.2022 को आदेश 1 नियम 10 एवं धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन के आदेश हेतु निर्धारित है।

हस्तक्षेपक आवेदक ने अपने आवेदन में कहा है कि प्रस्तुत मामले में आवेदन के मद न0 1 में एक कुर्सीनामा दिया गया है जिसके अन्तर्गत नकछेदी मिश्र की वंशावली दी गयी है प्रस्तुत मामले में तकरारी खेसरा न0 4610 का पार्ट रकवा मवाजी 7 कठ्ठा चार धुर एराजी नकछेदी मिश्र ने 1940 में हासिल किया । यह कि उनके मरने पर उनके बेटे विंध्यांचल मिश्र तथा उनके मरने पर उनके पेशरान के बीच जमीन जायदाद का बाखुदहां बंटवारा हुआ यह कि मद न0 2 दरख्वास्त हाजा विरेन्द्र मिश्र व प्रमोद मिश्र को मिली यह कि प्रमोद मिश्र ने मद न0 दो की मवाजी एक कठ्ठा ढाई धुर रजिस्ट्री बयनामा के माध्यम से आवेदक को बेच दिया और कुल जरसेमन पाकर कब्जा भी दे दिया । यह कि बचा हुआ पार्ट 11.02.2012 को एक कठ्ठा ढाई धुर आवेदक को रजिस्ट्री बयनामा के माध्यम से प्राप्त हुआ और बयनामा के मुताबिक जरसेमन राशि अदा कर आवेदक ऐराजी पर काबिज हैं । यह कि आवेदक जमीन के क्रेता हैं और उनका कब्जा, स्वामित्व, हित , अधिकार आज भी कायम हैं । यह कि आवेदक को यह जानकारी हुई कि उपरोक्त हासिल करदगी जायदाद मद न0 02 दरख्वास्त हाजा दिगर एराजी के निश्वत एक दुरभिसंधि कर के वाद आपस में लड़ रहे हैं । यह कि आवेदक का हित भी तकरारी जायदाद में शामिल है और उसको पार्टी बनाना अत्यंत आवश्यक है । यह कि आवेदक के बयनामे जायदाद की पूरी जानकारी फरीकैन को शुरू से है परन्तु नापाक नियत से उसे पक्षकार नहीं बनाया गया है। यह कि वादी के परिवार से आवेदक की पुरानी दुश्मनी है । ऐसा लगता है कि पुरानी दुश्मनी के कारण आवेदक की खरीदगी एराजी को हड़पने के लिए मन आवेदक को बिना पार्टी बनाये एक साथ पक्षकार मुकदमा लड़ रहे हैं । यह कि आवेदक तकरारी खेसरा के बयदार है अतः मन आवेदक को पक्षकार बनाने की कृपा की जाए।

प्रस्तुत मामले में वादी ने प्रतिउत्तर में कहा है कि आवेदक का आवेदन विधि विरूद्ध हैं यह कि यह कहना गलत है कि विंध्यांचल मिश्र के मरने के बाद उनके पेसरान के बीच जमीन जायदाद का बंटवारा हो गया है । यह कहना भी गलत है कि सत्यनारायण मिश्र के मरने के बाद उनके पेसरान ने बाखुदहां में बंटवारा कर लिया यह कि दिनांक 09.09.2011 को प्रमोद मिश्र बनाम बालमुकुंद दूबे एक साजिशी बयनामा कर लिया जिसके आधार पर आवेदक को कभी कब्जा नहीं हुआ क्योंकि यह बयनामा अधिकारविहीन व्यक्ति के द्वारा बिना किसी पैसे के निष्पादित किया गया था। इसी प्रकार बयनामा दिनांक 11.02.2012 एक अधिकार विहिन व्यक्ति के द्वारा बिना रूपये पैसे के कर लिया गया था इसलिए आवेदक को एक क्षण के लिए भी कभी दखल नहीं प्राप्त हुआ। यह कि आवेदन पत्र की धारा 6 का अभिकथन गलत है कि वादी की आवेदक से दुश्मनी है । यह कि आवेदन

स्वत्व वाद संख्या 46/2018
सीआईएस 13/2018
दिनांक 15.12.2023

पत्र की धारा 4 के अभिकथन भी गलत है कि तरकारारी जमीन में आवेदक का हित प्रत्यक्ष रूप से समाहित है । यह कि विधांचल मिश्र के दोनों लड़कों के बीच आज तक कोई बंटवारा नहीं हुआ है। यह कि आवेदक की नीयत ठीक नहीं है और खरीदगी दस्तावेजी बयनामा 09.09.2011, 11.02.2012 के आधार पर अंचल अधिकारी संग्रामपुर में जमावंदी निर्माण हेतु आवेदन दिया गया था जिसे प्रतिवेदन की मांग की गयी थी और प्रतिवेदन में यह बताया गया था कि आवेदक का दखल कब्जा कथित जमीन पर नहीं है। इस आधार पर आवेदन पत्र खारिज कर दिया गया था। यह कि अंचल अधिकारी के आदेश के विरुद्ध आवेदक ने उपसमाहर्ता भूमि सुधार अरेराज के न्यायालय में दाखिल खारिज अपील न0 07/2020–21 दाखिल किया जिसे 25.09. 2021 को खारिज कर दिया गया। इस प्रकार आवेदक का दावा बिलकुल भी गलत है। अतः आवेदक के आवेदन को खारिज करने की कृपा करे।

आवेदक के आवेदन पर प्रतिउत्तर देते हुए प्रतिवादी ने कहा कि आवेदक का आवेदन खारिज होने योग्य है यह कि आवेदक ने गलत आधार पर अपने को वजूद में लाया है उसका इस संपत्ति से कोई सरोकार नहीं है यह कि आवेदक के आवेदन को नकछेदी मिश्रा के खुद का कुर्सीनामा का बयान किया है उससे यह साबित होता है कि नकछेदी मिश्रा के तन्हा पेसर विधांचल मिश्रा थे जिनके दो पेसरान सत्य नारायण मिश्रा व बाबू साहेब मिश्रा हुए। यह कि विधांचल के मर जाने के पश्चात तमामी जायदाद विधांचल मिश्रा के पेसरान को 1/2 , 1/2 हासिल हुई यह कि आवेदक ने अपने आवेदन में कहा है कि जो बजरिए बंटवारा जो जायदाद सत्यनारायण मिश्रा को हुई उसका कोई भी सबूत अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है । अतः सबूत के आभाव में आवेदन खारिज करने की कृपा किया जाए ।

समस्त पक्षकारों को सुना, तथा वाद पत्र एवं आवेदक के आवेदन का अवलोकन किया । प्रस्तुत वाद न्यायालय में दिनांक 26.04.2018 को प्रस्तुत किया गया । मामले में 04 साल से भी ज्यादा समय बितने के पश्चात आवेदक द्वारा इस तरह का आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जो कि काफी विलंब से प्रस्तुत है आवेदक ने अपने आवेदन के पक्ष में कोई भी दस्तावेजी प्रमाण न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है। अतः आवेदक का आवेदन पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में अन्तर्गत व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 एवं धारा 151 के अन्तर्गत अस्वीकृत किया जाता है। वाद दिनांक ..... वास्ते अग्रिम कार्रवाई।

स्थानः अरेराज
पूर्वी चम्पारण।

लेखापित व संशोधित

मनीष कुमार पाण्डेय
अवर न्यायाधीश
अरेराज,पूर्वी चम्पारण।